उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड
U.P. JAL VIDYUT NIGAM LIMITED

The UTTAR PRADESH JAL VIDYUT NIGAM LIMITED (UPJVNL) has submitted the MYT Petition for Approval of ARR and Tariff determination for Rihand (5 X 50 MW) and Matatila (3 X 10.2 MW) Hydro Power Stations for Control Period FY 2014-15 to FY 2018-19 before the Hon'ble Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (UPERC) under the provisions of Electricity Act, 2003 and UPERC (Terms and Conditions of Generation Tariff) Regulations, 2014. The Commission has admitted the Petition on July 24, 2019 and directed UPJNL to publish a Public Notice for public hearing. Public hearing is scheduled on date 09 December 2022 at Hon'ble UPERC, Gomti Nagar Lucknow. Accordingly, UPJVNL is being invited suggestions and objections within 15 days from the date of publication of this public notice from all the stakesholers and public.

The salient features of the Petition are provided below:-

UPJVNL has submitted the Petition for Approval of ARR and Tariff determination on provisional basis for the period FY 2014-15 to FY 2018-19. The Opening GFA balances have been taken from the UPERC order dated 20.10.2011 in Petition No. 661 of 2010 for determination of MYT and approval of ARR for F.Y.2009-10 to 2013-14. It is also informed that Petitioner has not claimed any additional capitalization against capital expenditure towards Rihand and Matatila for the period FY 2014-15 to FY 2018-19.

Copies of Tariff Petitions submitted by UPJVNL, may be obtained on any working day from the office of Executive Engineer (Commercial), UPJVNL, 12th Floor, Vikas Deep, 22-Station Road, Lucknow on payment of Rs.1000.00 (Rupees One Thousand Only) through cash or demand Draft/RTGS/NEFT in account of U.P. Jal Vidyut Nigam Ltd., Lucknow (Punjab National Bank, A/c no.- 1499010100375, IFSC-PUNB0149920). The detailed ARR and Tariff Petitions are also available at the website (www.upjvn.org) of UPJVNL.

All concerned Consumers, Individual, Organizations etc may send their suggestions and objections with notarized affidavit in Six copies (one original + 5 set of copies) to Secretary, U.P. Electricity Regulatory Commission, Gomti Nagar, Lucknow and two copies to the Chief Engineer (O&M), UPJVNL, 12th Floor, Shakti Bhawan Extn,14 Ashok Marg, Lucknow – 226001.

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड
U.P. JAL VIDYUT NIGAM LIMITED

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीजेवीएन लि0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक की अवधि के लिए रिहन्द (5 X 50 मेगावाट) और माताटीला (3 X 10.2 मेगावाट) जल विद्युत गृहों के लिए ए0आर0आर और टैरिफ निर्धारण के अनुमोदन हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 और यूपीईआरसी (उत्पादन टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम, 2014 के प्रावधानों के तहत माननीय उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) के समक्ष एमवाईटी याचिका प्रस्तुत की गयी है। मा0 आयोग ने 24 जुलाई 2019 को याचिका को स्वीकार किया और निर्देश दिया कि यूपीजेवीएनलि0 जन सुनवाई के लिए एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगा। दिनांक 09 दिसम्बर, 2022 को जन सुनवाई, माननीय यूपीईआरसी, गोमती नगर, लखनऊ में निर्धारित है। तद्नुसार, यूपीजेवीएनलि0 द्वारा इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर सभी हितधारकों और जनता से सुझाव और आपत्तियॉ आमंत्रित की जा रही है।

याचिका की मुख्य विशेषताएँ नीचे दी गई हैं :–

यूपीजेवीएनलि0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2018–19 की अवधि के लिए अनंतिम आधार पर एआरआर और टैरिफ निर्धारण के अनुमोदन के लिए याचिका प्रस्तुत की गयी है। वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2013–14 के लिए एमवाईटी के निर्धारण और एआरआर के अनुमोदन हेतु दाखिल याचिका संख्या 661 / 2010 में मा0 नियामक आयोग के आदेश दिनांक 20.10.2011 से प्रारंभिक जीएफए अवशेष लिया गया है। यह भी सूचित किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 से वित्तीय वर्ष 2018–19 की अवधि के लिए रिहन्द और माताटीला के लिए पूँजीगत व्यय के विरूद्ध किसी अतिरिक्त पूँजीकरण का दावा नहीं किया गया है।

यूपीजेवीएन लि0 द्वारा प्रस्तुत टैरिफ याचिकाओं की प्रतियॉ, अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य), यूपीजेवीएनलि0, 12वॉ तल विकासदीप, 22–स्टेशन रोड, लखनऊ के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में रूपये 1000.00 (एक हजार रूपये मात्र) नकद या डिमांड ड्राफ्ट / आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से यू0पी0 जल विद्युत निगम लिमिटेड, लखनऊ (पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या–1499010100375, IFSC –PUNB0149920) के भुगतान पर प्राप्त की जा सकती हैं तथा टैरिफ याचिकाएँ यूपीजेवीएनलि0 की वेबसाइट (www.upjvn.org) पर भी उपलब्ध हैं।

सभी सम्बन्धित उपभोक्ता, व्यक्ति, संगठन आदि अपने सुझाव और आपत्तियॉ नोटरीकृत हलफनामे के साथ छः प्रतियों (एक मूल, 5 प्रतियॉ) में सचिव, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, गोमती नगर, लखनऊ और दो प्रतियॉ मुख्य अभियन्ता (परि0 एवं अनु0), यूपीजेवीएनलि0, 12 वॉ तल, शक्ति भवन, लखनऊ को भेज सकते हैं।